न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश विश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 04 / 2021

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
किशनाराम पुत्र भाखराराम जाति बिश्नोई निवासी देशान्तरी नाडी, नया नगर, पिन कोड 344031 जिला बाड़मेर (किशनाराम भाखराराम बिश्नोई वाहन संख्या आरजे 04 सिबी 7109 चौहटन चौराहा, बाड़मेर वाहन एवं दूध का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनलाल बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 01.09.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी ने दौराने गश्त दिनांक **08.11.2020** को चौहटन चौराहे पर अप्रार्थी के वाहन **वाहन संख्या आरजे 04 सिबी 7109** को रूकवाकर जांच करने पर वाहन में 35 लीटर विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **2 लीटर दूध (मिक्स)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1268** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र 5(अ) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ दूध **(मिक्स)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:08 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी ने अपने जवाब में प्रकट किया कि प्रार्थी विधिक रूप से खाद्य सुरक्षा अधिकारी की योग्यता नहीं रखता है तथा पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा प्रार्थी की नियुक्ति को अवैध माना जा चुका है। उक्त परिवाद में निरीक्षण पश्चात सैम्पल लेने के आक्षेपित तथ्य गलत हैं। अप्रार्थी पशुपालकों से दूध क्रय करता है तथा उसे ही सप्लाई करता है। हरा चारा नहीं मिलने एवं सूखा चारा होने के कारण आम पशुओं का फेट सामान्य ही आता है। लिहाजा आक्षेपित तथ्य प्रमाणित नहीं होने से रिपोर्ट गलत है और खारिज योग्य है।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के वाहन से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **15.12.2020** में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया, जिस पर भी अप्रार्थी द्वारा प्रकट किया कि प्रार्थी विधिक रूप से खाद्य सुरक्षा अधिकारी की योग्यता नहीं रखता है तथा पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा प्रार्थी की नियुक्ति को अवैध माना जा चुका है। उक्त परिवाद में निरीक्षण पश्चात सैम्पल लेने के आक्षेपित तथ्य गलत हैं। अप्रार्थी पशुपालकों से [illegible] करता है तथा उसे ही सप्लाई करता है। हरा चारा नहीं मिलने एवं सूखा चारा होने के कारण आम पशुओं का फेट सामान्य की आता है। खाद्य प्रयोगशाला की नमूना जांच रिपोर्ट अनुसार Milk Fat मानक स्तर 4.5% के मुकाबले में [illegible]% जो कि मानक स्तर से कम है

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:08 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

एवं Milk Solid Not Fat मानक स्तर 8.5% के मुकाबले में 9.65% पाया गया है जो कि मानक स्तर से अधिक है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। अप्रार्थी के वाहन से विक्रय के आशय से रखे गये खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई ठोस एवं विधिसम्मत जवाब नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 10,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक **01.09.2021** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:08 IST
Reason: SelfAttested